रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1310] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 31, 2006/कार्तिक 9, 1928
No. 1310] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 2006/KARTIKA 9, 1928

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2006

का.आ. 1873(अ).– विध्वंसकारी कीट और कृमि अधिनियम, 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतदद्वारा पादप करन्तीन (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात्-

1. (1) इस आदेश को पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तृतीय संशोधन) आदेश, 2006 कहा जाएगा ।

(2) यह 1.11.2006 से प्रवृत्त होगा ।

2. उक्त आदेश में संलग्न अनुसूची VI में :-

(1) ''खपत के लिए स्टोन फल-सूखे फलों'' से संबंधित क्रम सं॰ 293 (iv) के सामने :

(i) कॉलम संख्या 4 में ''किसी देश'' के पहले ''(i)'' प्रविष्ट करें ।

(ii) कॉलम संख्या 4 में ''(ii) संयुक्त राज्य अमरीका से बादाम'' प्रविष्ट करें ।

(iii) कॉलम सं॰ 5 मे ''संयुक्त राज्य अमरीका से बादाम'' के सामने निम्नलिखित मदें प्रविष्ट की जाएंगी, अर्थात्-

''निम्नलिखित से मुक्त :

(क) मेडिटेरेनियन फ्लोर मॉथ (इफेस्टिया क्यूह्निला)

(ख) टोबेको मॉथ (इफेस्टिया एलुटेला)

(ग) इंडियन मील मॉथ (प्लोडिया इंटरपंकटेला) ।''

(iv) कॉलम सं० 6 में संयुक्त राज्य अमरीका के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएं : ''इस प्रयोजनार्थ पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित ढंग से फॉस्फीन अथवा अन्य किसी धूमक/पदार्थ द्वारा धूमन ताकि कॉलम 5 में उल्लिखित करन्तीन कृमियों के जीवन के सभी चरणों पर पूर्ण मर्त्यता हो और यह उपचार पादप स्वच्छता प्रमाण-पत्र द्वारा पृष्ठांकित किया जाएगा ।

(2) कॉलम सं० 6 में विद्यमान प्रविष्टियों के लिए पाइनस प्रजातियों (पाइन वुड) से संबंधित क्रम सं० 305 (iv) में निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएं, अर्थात :-

''उद्‌गम के देश में टिंबर को एनएपी के अधीन 21 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे ऊपर अथवा उसके समतुल्य पर 24 घंटों के लिए 48 ग्राम/घन मीटर की दर से मिथाइल ब्रोमाइड अथवा 30 मिनट तक 56 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे ऊपर (वुड का कोर तापमान) पर तापोपचार पर धूमित किया जाएगा अथवा इस प्रयोजनार्थ पादप संरक्षण सलहाकार द्वारा अनुमोदित ढंग, जैसी भी स्थिति हो, से अन्य किसी धूमक/पदार्थ से धूमित किया जाएगा और इस उपचार को पादप स्वच्छता प्रमाण-पत्र से पृष्ठांकित किया जाएगा ।''

[फा. सं. 8-20/2005-पीपी-I]

आशीष बहुगुणा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी.–पादप करन्तीन (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 दिनांक 18 नवम्बर, 2003 की सं. का.आ. 1322(अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया और बाद में दिनांक 6-2-2004 के सं. का.आ. 167(अ), 29 मार्च, 2004 के सं. का.आ. 427(अ), दिनांक 31-5-2004 के सं. का.आ. 644(अ), दिनांक 25-2-2005 के सं. का.आ. 263(अ), दिनांक 31-3-2005 के सं. का.आ. 462(अ), दिनांक 14-7-2006 के सं. का.आ. 1121(अ) तथा दिनांक 31-7-2006 के सं. का.आ. 1353 के द्वारा संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2006

S.O. 1873(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely:-

1. (1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Third Amendment) Order, 2006.

(2) It shall come into force on 1.11.2006.

2. In Schedule VI attached to the said order:-

(1) against Serial Number 293(iv) relating to “Stone fruits-dry fruits for consumption”:

(i) in Column number 4 insert “(i)” before “any country”;

(ii) in Column number 4 insert “(ii) almonds from USA”;

(iii) In column number 5 against "almonds from USA" the following items shall be inserted namely:

“Free from:

(a) Mediterranean flour moth (*Ephestia kuehniella*)

(b) Tobacco moth (*Ephestia elutella*)

(c) Indian meal moth (*Plodia interpunctella*)”.

(iv) In column number 6 the following entries shall be inserted against USA:

“Fumigation by phosphine or by any other fumigant/substance in the manner approved by the Plant Protection Adviser for this purpose so as to result in complete mortality of all life stages of quarantine pests mentioned in column 5 and the treatment shall be endorsed on the phyto-sanitary certificate”

(2) In serial number 305 (iv) relating to pinus species (pine wood) for the existing entries in column number 6, the following entries shall be inserted namely:-

“The timber shall be fumigated with Methyl bromide @ 48gm/cubic meter for 24 hrs at 21°C and above or equivalent thereof under NAP or heat treatment at 56°C and above (core temperature of wood) for 30 minutes or by any other fumigant/substance in the manner approved by the Plant Protection Adviser for this purpose as the case may be at the country of origin and the treatment shall be endorsed on the phyto-sanitary certificate”.

[F. No. 8-20/2005-PP. I]

ASHISH BAHUGUNA, Jt. Secy.

Foot Note.—The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 1322(E) dated 18th November, 2003 subsequently amended *vide* numbers S.O. 167(E) dated 6-2-2004, S.O. 427(E) dated 29th March, 2004, S.O. 644(E) dated 31-5-2004, S.O. 263(E) dated 25-2-2005, S.O. 462(E) dated 31-3-2005, S.O. 1121(E) dated 14-7-2006 and S.O. 1353 dated 31-7-2006.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.